उत्तर प्रदेश शासन
युवा कल्याण अनुभाग
संख्या–514 /पचास–यु0क0–2017–153/97
लखनऊ : दिनांक 05 मई, 2017
अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख्य की प्रति संलग्न है।

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–514 (1)/पचास–यु0क0–2017–153/97 तद्दिनांक।

उक्त अधिसूचना उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति के साथ संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक05 मई,2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में प्रकाशित करने तथा उसकी 500

–2–

प्रतियॉ शासन के युवा कल्याण अनुभाग को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नियमावली का हिन्दी रूपान्तरण मुद्रण हेतु बाद में उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–514 (2)/पचास–यु0क0–2017–153/97 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग,उत्तर प्रदेश शासन,
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. सचिव, लोक सेवा आयोग,उ0प्र0, इलाहाबाद,
5. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश,लखनऊ,
6. महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त नियमावली के मुद्रण के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करें,
7. गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश मिश्र)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

युवा कल्याण अनुभाग

संख्या-513 /पचास-यु0क0-2017-153/97

लखनऊ : दिनांक 08 मई, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017

भाग-1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ड.) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशो के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) 'नागरिको के अन्य पिछड़े वर्गो' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है;

(ञ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा से है;

(ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है। .

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्याउतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है :-

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	व्यायाम प्रशिक्षक	70	01	71
2	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	794	-	794

परन्तु यह कि :-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी:-

(1) क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी-आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) व्यायाम प्रशिक्षक-आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण 6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग - चार - अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-